

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ36(77)आ0कृ0 / NeGP-A/SP / 2015-16 / 2013-83

दिनांक:- 12/2/16

**संशोधित स्वीकृति आदेश**

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्शटेनशन एण्ड टेक्नोलोजी (NMAET) के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्शटेनशन (SMAE) के अन्तर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट नेशनल ई-गर्वनेंस प्लान इन एग्रीकल्चर (NeGP-A) के दिशा-निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक 5 जिलो पर एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र/प्रयोगशाला की स्थापना की जानी है। प्रशिक्षण केन्द्र Site Preparation हेतु आवश्यक फर्नीचर, एयर कन्डीशनर, प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड, बिजली का सामान (Cabling, Electric Switches, Electric Sockets etc.) एवं नेटवर्क स्विच आदि पर अधिकतम राशि रु 8.00 लाख प्रति प्रशिक्षण केन्द्र व्यय का प्रावधान है।

नेशनल ई-गर्वनेंस प्लान इन एग्रीकल्चर (NeGP-A) अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिये संभाग स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र/प्रयोगशाला स्थापना हेतु आवश्यक सामग्री यथा नेटवर्क स्विच एवं बिजली संबंधी कार्य (Cabling, Electric Switches, Electric Sockets, Earthing etc.) एवं विविध कार्यो को पूर्ण करवाये जाने के लिये पूर्व मे जारी स्वीकृति आदेश क्रमांक 1567-82 दिनांक 30.10.2015 के अधिकमण (Supersession) मे कुल स्वीकृत राशि रुपये 249.58 लाख मे से सम्बन्धित संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) स्तर से व्यय करने हेतु राशि रुपये 700000.00 (अक्षरे रुपयेसातलाख मात्र) निम्नानुसार आवंटन करने की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	स्वीकृत राशि (रुपये)	बजट मद
1	संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जयपुर खण्ड जयपुर	100000.00	2401- फसल कृषि कर्म
2	संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जोधपुर खण्ड जोधपुर	100000.00	109- विस्तार एवं कृषकों को प्रशिक्षण
3	संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) बीकानेर खण्ड बीकानेर	100000.00	(16)- राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन
4	संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) भीलवाडा खण्ड भीलवाडा	100000.00	[05]- कृषि में ई-गर्वनेंस योजना
5	संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) भरतपुर खण्ड भरतपुर	100000.00	05-कार्यालय व्यय
6	संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) कोटा खण्ड कोटा	100000.00	
7	संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) उदयपुर खण्ड उदयपुर	100000.00	
	योग	700000.00	

संलग्न- सामान्य दिशा-निर्देश


(डॉ. नीरज कुमार पवन)

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव  
कृषि, राजस्थान

क्रमांक:-एफ36(77)आ0कृ0 / NeGP-A/SP / 2015-16 / 2013-83 दिनांक:- 12/2/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार कृषि, मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि, (योजना/प्रशासन) मुख्यालय जयपुर को बजट आवंटन हेतु।
4. संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार) खण्ड जयपुर/जोधपुर/भरतपुर/कोटा/भीलवाडा/उदयपुर/बीकानेर
5. आरक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार)  
राजस्थान, जयपुर

संभाग स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र/प्रयोगशाला स्थापना के लिये Site preparation हेतु सामान्य दिशा-निर्देश-

1. संभाग स्तर पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र/प्रयोगशाला स्थापना के लिये Site preparation से पूर्व मूलभूत सुविधा यथा भवन बिजली, पानी, सूरक्षा आदि का ध्यान रखा जावे।
2. Site preparation का कार्य समस्त सम्बद्ध विभाग (उद्यान, पशुपालन, मतस्य आदि) से समन्वय कर कराया जावे।
3. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र/प्रयोगशाला स्थापना के लिये Site preparation हेतु आवश्यक नेटवर्क स्विच कय बिजली संबंधी कार्य (Cabling, Electric Switches, Electric Sockets, Earthing etc.) एवं विविध आदि पर निम्नानुसार व्यय किया जा सकता है।

Item	Approx. Cost (Rs.)
Power Point (250V, 5-15Amp), IO Switch, LAN, Cable and Casing Etc.	35000.00
Earthing	35000.00
Miscellaneous	30000.00
<b>TOTAL</b>	<b>100000.00</b>

4. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र/प्रयोगशाला स्थापना के लिये Site preparation हेतु सामग्री व कार्य उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।
5. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र/प्रयोगशाला स्थापना के लिये Site preparation हेतु अधिकतम रु 100000.00 व्यय का प्रावधान है।
6. स्वीकृत राशि का व्यय सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों की पालना करते हुए किया जावे एवं Site preparation के लिये स्वीकृत कार्य एवं सामग्री का कय RTPP Act 2012 and Rules 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावे।



अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार)  
राजस्थान, जयपुर